

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

कमांक 63/ अ- 82/17-18/ भू- अर्जन / बैतूल दिनांक 23/ 6 / 2018


ईशतहार

म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में मकान आने के कारण ग्राम देवडोंगरी प. ह. न. 112 तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार आबादी के खसरा नम्बरो के मकानों को आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किये हैं :-

अ. क्र.	खसरा न.	आवेदक विभाग द्वारा कय किये जाने वाला मकानों की संख्या	धारक का नाम
1	2	3	4
1	72	1	संतोष व० महग्या
2	72	1	प्रहलाद व० सुखनन्दन
3	72	1	मदन व० नत्थू
4	72	1	शिशूपाल व० इमरत
5	72	1	गुलाबराव व० दयाराम
6	72	1	दिनेश व० तमाख्या
		6	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम देवडोंगरी तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार आबादी के खसरा नंबरों में स्थित कुल 6 मकानों को आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी ( भू -अर्जन ) राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक ..... 23.6.18 ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



( शशांक मिश्र ) 23/6/18.


कलेक्टर जिला बैतूल ( म. प्र.)

पृ0क0 63 अ-82/वर्ष 17-18/भू-अर्जन 7668

बैतूल दिनांक 23-06-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जेल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत डोहलन (देवडोंगरी) तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

  
कलेक्टर,  
बैतूल